



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15943

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या - 598 सन् 2026

बृज मोहन शर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने न्यायालय में बयान दिया है कि उनके पास निर्देश हैं और वे मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं और वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 17.03.1992 को जूनियर लेखा क्लर्क/लेखा क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे लेखा सहायक के पद में मिला दिया गया था। हालांकि, 26.04.2006 को एक शासनादेश जारी किया गया था जिसके तहत सहायक लेखा वेतनमान को बढ़ाकर 4500-7000 रुपये, लेखा सहायक का वेतनमान 5500-9000 रुपये और वरिष्ठ लेखा सहायक का वेतनमान 6500-10,500 रुपये कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें एसीपी आदि के लाभ दिए गए थे, हालांकि, दिनांक 20.12.2025 के आदेश और दिनांक 25.12.2025 के वसूली आदेश के तहत 25,000 रुपये की राशि वसूल नहीं की गई। याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति तिथि 30.09.2025 थी, इसके बावजूद 7,87,505/- रुपये की कटौती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की जा रही है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चुनौती दिया गया आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है; इसमें धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का कोई मामला नहीं है; याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ नहीं दिए गए हैं।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार का कहना है कि नियोक्ता के लिए गलती को सुधारना हमेशा संभव है, हालांकि उनके अनुसार, रिट याचिका में चुनौती दिए गए आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को इस संबंध में कोई सूचना दी गई थी।

5. मैंने बार में दिए गए सभी निवेदनों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को कुछ लाभ दिए गए थे जिन्हें वापस ले लिया गया है और परिणामस्वरूप वसूली का निर्देश दिया गया है। चुनौती दिए गए आदेश में यह उल्लेख नहीं है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता को इस बारे में सूचित किया गया था या यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला है।

7. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है:

(क) दिनांक 26.09.2025, 12.12.2025 के आदेश और परिणामी आदेश दिनांक 30.11.2025, जहां तक यह रिट याचिकाकर्ता से संबंधित है, जिसमें 7,87,505/- रुपये की राशि का पुनर्निर्धारण और वसूली का प्रावधान है, निरस्त किए जाते हैं; (ख) मामले को नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है; (ग) सुविधा के लिए, रिट याचिकाकर्ता 05.02.2026 तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा; (घ) सक्षम प्राधिकारी 29.02.2026 तक रिट याचिकाकर्ता को कारण बताएगा और रिट याचिकाकर्ता 27.02.2026 तक उत्तर प्रस्तुत करेगा, आदेश 31.03.2026 तक पारित किया जाएगा।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

21 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।